न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2241–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 349/अपील/2013–14.

कांतिलाल पुत्र गेंदालाल जैन
निवासी टाण्डा
तहसील कुक्षी जिला धार

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला धार .....अनावेदक

.....

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नं. 4 ग्राम टाण्डा द्वारा नायब तहसीलदार, कुक्षी जिला धार के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम टाण्डा स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 262/1 पैकी रकबा 1.000 हैक्टेयर मद चरनाई दर्ज है । उक्त भूमि में से 0.034 हैक्टेयर पर आवेदक द्वारा मोबाईल टावर लगाकर अतिकमण किया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण कमांक 236/अ–68/13–14 दर्ज किया जाकर दिनांक 21–2–14 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल करने का आदेश दिया जाकर 15 दिवस

में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये, साथ ही 15,000/– रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी जिला धार के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–5–2014 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर निर्देशित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक का तत्काल अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–6–2014 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख बुलाये बिना एवं उनकी जांच किये बिना अतिसंक्षेपित आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई है, जबकि अपीलीय न्यायालय को प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख बुलाकर एवं उनकी जांच कर आदेश पारित करना चाहिये । अतः अपर आयुक्त का आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 248 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गई है कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जबकि वास्तव में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं होकर आवेदक के स्वामित्व की भूमि है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है, और न ही राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है तथा न ही पंचनामा के साक्षी एवं स्वतंत्र साक्षियों के कथन कराये गये हैं, केवल पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमण मानकर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं कराया गया है, जबकि आवेदक द्वारा दिनांक 14–5–2005 को अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया था, जिसमें नक्शे में दर्शाई गई भूमियों से मौके पर आवेदक की भूमि कम पाई गई है, और शासकीय

भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर बिना विचार किये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनके आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य हैं । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण माना है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसम्मत् होने से स्थिर रखे जायें ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष ग्राम पटवारी द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 262/1 रकबा 1.000 हैक्टेयर में से 0.034 हैक्टेयर पर मोबाईल टावर लगाकर अतिक्रमण किया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर बिना स्थल निरीक्षण किये और बिना विस्तृत जांच किये केवल पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमण मानकर बेदखली का आदेश दिया गया है, जबकि नायब तहसीलदार का यह दायित्व था कि वे मौके पर स्थल निरीक्षण कर साक्ष्य से अतिक्रमण सिद्ध करते हुए आदेश पारित करते । इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान कहा गया कि उसके द्वारा दिनांक 14–5–2005 को अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया था और उक्त सीमांकन में नक्शे के हिसाब से मौके पर कम भूमि पाई गई है तथा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है, उक्त सीमांकन पर नायब तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तर्क के समर्थन में सीमांकन पंचनामा, फील्डबुक आदि की प्रति प्रस्तुत की गई है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप जिस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया जा रहा है, उसे सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । इस

प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, नायब तहसीलदारार द्वारा शासकीय भूमि पर मोबाईल टावर लगाकर अतिकमण करना बताया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मकान बनाकर शासकीय भूमि पर अतिकमण करना आदेश में दर्शाया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है, इसलिए उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा बिना अभिलेख बुलाये यह निष्कर्ष निकालते हुए कि नायब तहसीलदार द्वारा शासकीय भूमि पर अतिकमण होना सिद्ध पाया गया है, अपील को ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त किया गया है, जबकि शासकीय भूमि पर अतिकमण के संबंध में अपर आयुक्त को अभिलेख बुलाकर परीक्षण कर आदेश पारित करना चाहिए था, इसलिए उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए आवेदक द्वारा पूर्व में कराये गये सीमांकन दिनांक 14–5–2005 को विचार क्षेत्र में लेते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2014, अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2014 एव नायब तहसीलदार, कुक्षी जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–14 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया जाकर निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर